

अधिसूचना

क्योंकि उपायुक्त, हमीरपुर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जिला हमीरपुर, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा(1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला हमीरपुर के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार विभाजित/पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला हमीरपुर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला हमीरपुर को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला हमीरपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला हमीरपुर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

क्र. सं. 0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड भोरंज						
1	लुद्दर महादेव	लझयाणी	लझयाणी	1.लझयाणी	1.डूहका	ग्राम लदेहड़ा व टिक्करी घुरालां को अधिसूचना सं0
		2.बगवाड़		2.बगवाड़	2.झण्डवीं चांगरियां	

		3.डूहका			3.छत्र खुर्द	पीसीएच-एचए (1)2/2019-5516 4-173 दिनांक 26. 08.2020 के द्वारा पुनर्गठित कर ग्राम सभा टिक्करी मिन्हासा से अपवर्जित कर ग्राम सभा लुददर महादेव में सम्मिलित किया गया है।
		4.झण्डवीं चांगरियां			4.बल्ही	
		5.छत्र खुर्द			5.खतनाल	
		6.बल्ही			6.भजलाह	
		7.खतनाल			7.छत्रकलां	
		8.भजलाह			8 लदेहड़ा	
		9.छत्रकलां			9 टिक्करी घुरालां	
		10 लदेहड़ा				
		11 टिक्करी घुरालां				
2	पाण्डवीं	1.चौन्तरा	भगेटू	1.भगेटू	1.चौन्तरा	
		2.पाण्डवीं		2.झिन्जकरी	2.पाण्डवीं	
		3.मैड		3.भोला	3.मैड	
		4.भगेटू		4.प्लासी		
		5.झिन्जकरी		5.दरौड़ला बुल्ला		
		6.भोला		6.दरौड़ला उपरला		
		7.प्लासी				
		8.दरौड़ला बुल्ला				
		9.दरौड़ला उपरला				
विकास खण्ड बिझड़ी						
3	क्यारा बाग	1 बघेड	कोहडरा	1 पलेहडा	1 बघेड	
		2 खेडी		2 बदलोई	2 खेडी	
		3 क्यारा		3 देशन	3 क्यारा	
		4 बाग		4 कोहडरा	4 बाग	
		5 कोहलवी		5 खरोटा	5 कोहलवी	
		6 सुनवी ब्राहमणा			6 सुनवी ब्राहमणा	
		7 सुनवी राजपूता			7 सुनवी राजपूता	
		8 पलेहडा				
		9 बदलोई				
		10 देशन				
		11 कोहडरा				
		12 खरोटा				
विकास खण्ड बमसन						
4	उहल	1 उहल	लग(कडियार)	1 कडियार	1 उहल	
		2 ननोट		2 त्याण	2 ननोट	
		3 परनाली		3 लडियार	3 परनाली	
		4 भम्बलोह		4 लग	4 भम्बलोह	
		5 कडियार				
		6 त्याण				
		7 लडियार				
		8 लग				

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों/आक्षेपों, यदि कोई हों, का तुरन्त निपटारा करके अपनी अन्तिम सिफारिश/आपत्तियों तथा आक्षेपों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों की अवधि के भीतर विशेष वाहक, (email) द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पंचायत अधिकारी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर चसपान सुनिश्चित करवाएंगे तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव(पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।